



स्टार्ट-अप्स और एंजेल टैक्स (Start-Ups and Angel Tax)

संदर्भ

इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) द्वारा किये गए सर्वेक्षण से प्राप्त नष्कर्षों के अनुसार, भारत में आयकर विभाग ने 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच पूंजी जुटाने वाले 73% से अधिक स्टार्ट-अप्स को **एंजेल टैक्स नोटिस** देकर उनके लिये असहज स्थिति उत्पन्न कर दी है। कई स्टार्ट-अप्स कंपनियों ने आयकर कानून की धारा 56 (2) (7B) के तहत एंजेल टैक्स के लिये भेजे गए नोटिस पर चिंता जताई थी। अब संभावना है कि एंजेल टैक्स से परेशान स्टार्ट-अप्स को जल्द ही सरकार से कुछ रियायत मिल सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्ट-अप्स के लिये समस्या बने एंजेल टैक्स के मुद्दे को सुलझाने हेतु इसके मानदंडों को संशोधित करने के लिये पाँच सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

मुद्दा क्या है?

हाल ही में कई स्टार्ट-अप्स को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला है, जिसमें उन्हें कई साल पहले कारोबार के लिये जुटाए गए फंड पर टैक्स चुकाने को कहा गया है। कारोबार के विस्तार के लिये स्टार्ट-अप्स नविश जुटाने का इंतज़ाम करते हैं। इस नविश के एवज में पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को वे शेयर जारी करते हैं। अक्सर ये शेयर की वाजिब कीमत के मुकाबले ज्यादा कीमत पर जारी किये जाते हैं। शेयर की अतिरिक्त कीमत को इनकम माना जाता है और इस इनकम पर टैक्स लगता है, जिसे एंजेल टैक्स कहा जाता है। स्टार्ट-अप को इस तरह मिले पैसे को एंजेल फंड कहते हैं। स्टार्ट-अप संचालकों का कहना है कि जब वे नए शेयर जारी करके पूंजी जुटाते हैं तो आयकर विभाग उनसे सवाल-जवाब करता है। दूसरी तरफ आयकर विभाग की चिंता यह है कि इस प्रकार जुटाए गए धन का इस्तेमाल स्टार्ट-अप्स अपनी सुविधानुसार गलत तरीके से भी कर सकते हैं। इसलिये इस तरह की परंपिटी पर अंकुश लगाने के लिये एक नश्चिती सीमा से अधिक नविश पर टैक्स लगाना आवश्यक है।

क्या है एंजेल टैक्स?

- स्टार्ट-अप्स कंपनियों अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिये फंड जुटाती हैं और इसके लिये पैसे देने वाली कंपनी या कसिी संस्था को शेयर जारी किये जाते हैं।
- ज्यादातर मामलों में ये शेयर तय कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमत पर जारी किये जाते हैं।
- इस प्रकार शेयर बेचने से हुई अतिरिक्त राशिको इनकम माना जाता है और इस इनकम पर जो टैक्स लगता है, उसे **एंजेल टैक्स** कहा जाता है।
- स्टार्ट-अप्स को इस तरह मिली राशिको **एंजेल फंड** कहते हैं, जिसके बाद आयकर विभाग एंजेल टैक्स वसूलता है।
- एंजेल टैक्स को 2012 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य धन शोधन (Money Laundering) को रोकना है।

एंजेल नविशक कौन है?

- एंजेल नविशक धनवान व्यक्ति होता है जो ऐसी कसिी छोटी स्टार्टअप कंपनी में नविश करने के लिये सहमत होता है जिसके पास पूंजी की बेहद कमी होती है।
- आमतौर पर **एंजेल नविशक** उद्यमी होते हैं, जो स्टार्टअप कंपनी शुरू करने वाले व्यक्ति के दोस्त या रश्तेदार भी हो सकते हैं।
- एंजेल नविशक कंपनी के संस्थापकों के साथ-साथ उनके व्यापार की अवधारणा में विश्वास करते हुए कंपनी को स्थापित करने के लिये आवश्यक पूंजी बतौर कर्ज़ देते हैं, जो आमतौर पर अन्य कर्ज़दाताओं की तुलना में आसान शर्तों पर दिया जाता है।
- सामान्यतः एंजेल नविशक चाहते हैं कि नविश पर उनका नश्ी स्वामित्व बना रहे। दिये गए कर्ज़ के एवज में एंजेल नविशक आमतौर पर अपने पसंदीदा शेयरों के रूप में नई कंपनी में अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं।

एंजेल टैक्स से कसिे मिलती है छूट?

- मनी-लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिये **भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (2) (7B) के तहत** प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत आय बढ़ाने के लिये नविश प्राप्त करने वाले स्टार्ट-अप्स की जाँच करने के लिये आयकर अधिकारियों को वविकाधीन शक्तियाँ मिली हुई हैं।
- इस अधिनियम के तहत आयकर विभाग स्टार्ट-अप्स द्वारा बेचे गए ऐसे शेयरों से होने वाली उनकी आय पर टैक्स नश्धारण करने के लिये स्वतंत्र है।

- यह टैक्स लगाया ही इसीलिये जाता है कि नविशकों को बेचे गए शेयरों की कीमत स्टार्ट-अप के शेयरों की वास्तविक कीमत से अधिक होती है।
- बेशक एंजेल टैक्स का इरादा न्यायसंगत हो सकता है, लेकिन इसके मनमाने स्वरूप का मतलब है कि अनपेक्षित परिणामों की स्थिति में लागत को कथित लाभों से अधिक दिखाया जा सकता है।

कैसे हासिल होती है छूट?

केंद्र सरकार ने पछिले वर्ष एक अधिसूचना जारी कर आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत एंजेल इन्वेस्टर के नविश सहित 10 करोड़ रुपए तक के कुल नविश वाली स्टार्ट-अप को टैक्स में छूट की इजाजत दी थी। स्टार्ट-अप में स्टैक लेने के इच्छुक एंजेल इन्वेस्टर की न्यूनतम नेटवर्थ दो करोड़ रुपए होनी चाहिये या पछिले तीन वित्तीय वर्षों में 25 लाख रुपए से अधिक औसत रटिर्नड इनकम होनी चाहिये।

सरकार क्या कर रही है?

स्टार्ट-अप पर लगाए गए एंजेल टैक्स को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्र का कहना है कि इस मुद्दे पर CBDT के पास कई सुझाव आए हैं। अब आयकर विभाग को तय करना है कि किनी स्टार्ट-अप को एंजेल टैक्स से छूट दी जाए। डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) की ओर से जनि स्टार्टअप को आयकर अधिनियम की धारा 56(2) के तहत छूट माली हुई है, उनको आयकर विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी गई है। सरकार को हर हाल में एंजेल टैक्स के मुद्दे का समाधान तलाशना चाहिये क्योंकि इससे नए स्टार्ट-अप को काफी नुकसान होता है।

मुद्दा सुलझाने के लिये क्या किया जा सकता है-

सभी नविशों पर ब्रॉड-ब्रश टैक्स (Broad-Brush Tax) का मतलब है कि काला धन नविश करने वालों पर कोई कार्रवाई न करते हुए उस स्टार्ट-अप को दंडित करना जिसमें नविश किया गया है। सरकार द्वारा गठित समिति को उस सीमा को बढ़ाने पर विचार करना चाहिये जिस पर स्टार्टअप में नए नविश पर कर लगेगा। यदि इस टैक्स को लेकर प्रभावी समाधान नहीं तलाशा गया तो विदेशी या घरेलू नविशक नवाचारों में नविश करने से कतराने लगेंगे। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह एंजेल टैक्स को इस प्रकार युक्तसंगत बनाए कि स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को कम-से-कम परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके अलावा, एंजेल इन्वेस्टर्स के लिये छूट के नियम भी सरल किये जा सकते हैं। अभी शर्त यह है कि पछिले तीन वर्षों में एवरजि रटिर्नड इनकम 25 लाख रुपए और पछिले वित्त वर्ष के आखिरी दिने नेटवर्थ दो करोड़ रुपए होनी चाहिये। ऐसे में बदलाव के तहत केवल यह शर्त रखी जा सकती है कि पछिले वित्त वर्ष में नविशक की रटिर्नड इनकम 50 लाख रुपए या इससे ज़्यादा हो। आपको बता दें कि देश में नवोन्मेष और उद्यमिता का प्रभावी इको-सिस्टम बनाने के लिये स्टार्ट-अप को लगातार सात असेसमेंट ईयर में से तीन में आयकर छूट के लाभ भी दिए जाते हैं।